भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 474

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार

474. श्री सी.एन.अन्नादुरई:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री एम.के. राघवन:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार और पांच साल के लिए करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्न वितरण के केंद्रीय आवंटन का राज्य और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग)उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में पीएमजीकेएवाई से कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) योजना के कार्यान्वयन में सरकार ने किन चुनौतियों का सामना किया;

(ङ.) क्या सरकार का विचार इस योजना का विस्तार और आगे करने का है तथा यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे हैं और पीएमजीकेएवाई योजना में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और इस अधिनियम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ एनएफएसए

.......2/-

लाभार्थियों (अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों) को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
तमिलनाडु	364.12
ओडिशा	325.03
महाराष्ट्र	700.17

(घ): किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई अथवा चुनौती के बारे में जानकारी नहीं दी है।

(ड.): जैसा उपर्युक्त (क) में स्पष्ट किया गया है।

(च): सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित मानीटरिंग संस्थानों (एमआईएस) को 03 वर्षों (2020-23) के लिए नियोजित किया है। मानीटरिंग संस्थानों (एमआईएस) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के तहत जनवरी 2023 से नि:शुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.12.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 474 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	1871.844	1871.844	1871.844	1871.844
2	अरुणाचल प्रदेश	88.992333	88.996	88.996	88.996
3	असम	1694.3237	1694.726	1695.130	1695.130
4	बिहार	5524.3305	5527.100	5527.100	5527.100
5	छत्तीसगढ़	1384.056	1384.056	1384.056	1384.056
6	दिल्ली	450.69013	448.682	448.693	448.711
7	गोवा	58.173179	59.045	59.045	59.045
8	गुजरात	2178.3957	2175.742	2185.375	2211.234
9	हरियाणा	795	795.000	795.000	795.000
10	हिमाचल प्रदेश	508.02	508.020	508.020	508.020
11	झारखंड	1739.5136	1724.899	1743.731	1751.020
12	कर्नाटक	2608.8014	2608.820	2608.836	2608.836
13	केरल	1395.9733	1425.049	1425.049	1425.048
14	मध्य प्रदेश	3443.2766	3165.838	3259.683	3436.082
15	महाराष्ट्र	4605.1919	4605.192	4605.189	4605.188
16	मणिपुर	162.59841	130.994	136.172	136.286
17	मेघालय	176.298	176.298	176.298	176.298
18	मिज़ोरम	65.75796	65.758	65.758	65.758
19	नागालैंड	138.05796	138.058	138.058	138.058
20	ओडिशा	2224.9201	2244.231	2249.705	2249.705
21	पंजाब	870.12	870.120	870.120	870.120
22	राजस्थान	2788.0725	2770.584	2770.584	2770.584
23	सिक्किम	44.3241	44.324	44.324	44.325
24	तमिलनाडु	3677.752	3677.752	3677.752	3677.752
25	तेलंगाना	1338	1338.000	1338.000	1338.000
26	त्रिपुरा	271.19249	271.231	271.224	271.231
27	उत्तराखंड	502.9992	502.999	502.991	502.990
28	उत्तर प्रदेश	9436.9659	9780.563	9878.534	9933.795
29	पश्चिम बंगाल	3970.6198	3970.620	3970.620	3970.620
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29.55792	29.558	29.558	29.558
31	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0	0.000	0.000	0.000
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	15.89168	15.421	15.162	15.128
33	जम्मू व कश्मीर	734.65404	734.654	734.654	734.654
34	लद्दाख	16.426976	16.427	16.427	16.427
35	लक्षद्वीप	4.62	4.620	4.620	4.620
36	पुडुचेरी (डीबीटी)	0	0.000	0.000	0.000
	कुल	54815.411	54865.222	55096.308	55361.218

****